



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23082022-238301
CG-MH-E-23082022-238301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3769]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3769]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

परमाणु ऊर्जा विभाग आदेश

मुंबई, 17 अगस्त, 2022

का.आ. 3943(अ).—केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (b) और नियम 24 के उप नियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 22 मई, 2013 को प्रकाशित दिनांक 16 मई, 2013 के आदेश सं. सां.क.1317(ई) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त आदेश में, अनुसूची में,-

(a) सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'सी', के भाग II में क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को निम्नलिखित स्थान पर प्रयोग किया जाए, नामतः :-

1	2	3	4	5	6
" 9	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में पद	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सभी	निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय "

[फा. सं. विज-30/2/2022-डीएई]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा)

नोट:- दिनांक 16 मई 2013 के प्रमुख आदेश सं. सां. क्र. 1317 (ई) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 मई, 2013 को प्रकाशित किया गया था।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Mumbai, the 17th August, 2022

S.O. 3943(E).— In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, Department of Atomic Energy, *vide* number S.O.1317(E), dated the 16th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd May, 2013, namely:—

In the said Order,-

(a) under the heading “Part-II - GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP ‘C’ ”, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

1	2	3	4	5	6
“ 9	Posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research	Director, (Personnel and Administration) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research	Director, (Personnel and Administration) or Chief Administrative and Accounts Officer or Chief Administrative Officer, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research	All	Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research"

[F. No. VIG-30/2/2022-DAE]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy. (A & A)

Note: The principal order was published *vide* number S.O. 1317(E), dated the 16th May 2013, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 22nd May, 2013.